राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 27, 2016

सं. एफ. 12(3)एफडी/टैक्स/2015–117 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(3)एफडी/टैक्स/2015–117 दिनांक 01.02.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"सं. एफ.12(3)एफ.डी./टैक्स/2015–117 जयपुर, दिनांक : 01.02.2016

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 220/2015 दिनांक 28.12.2015 के अनुपालन में और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम–2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के खण्ड 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग के आदेश सं. एफ.12(3)एफ.डी./टैक्स/2015–54 दिनांक 10.07.2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त आदेश" के रूप में निर्दिष्ट किया है) (मैसर्स यजाकी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कस्टमाइज्ड पैकेज) में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. **खण्ड 1 का संशोधन.**– उक्त आदेश के खण्ड 1 के उप–खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थिापित किया जायेगा, अर्थात् :–

   "(ii) उद्यम, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में वर्णित चरणों में, राज्य में ऑटोमोटिव के लिए वायर हार्नेसिंग के विनिर्माण के लिए एक नई इकाई की स्थापना करेगा, स्तंभ संख्यांक 3 में वर्णित न्यूनतम विनिधान करेगा और स्तंभ संख्यांक 5 में वर्णित दिनांक तक, स्तंभ संख्यांक 4 में वर्णित न्यूनतम नियोजन उपलब्ध करवायेगा":–

सारणी

क्र. सं.	चरण	विनिधान की न्यूनतम रकम	उद्यम द्वारा उपलब्ध करवाया जाने वाला न्यूनतम नियोजन	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	प्रथम	32 करोड़ रू.	850 व्यक्ति	30 सितम्बर, 2016
2.	द्वितीय	38 करोड़ रू.	350 व्यक्ति (द्वितीय चरण के पूर्ण होने तक 1200 व्यक्तियों के लिए नियोजन उपलब्ध होना चाहिए)	30 सितम्बर, 2017

2. **खण्ड 5 का संशोधन.**– उक्त आदेश के खण्ड 5 के उप–खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iv) फायदे प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विनिर्मित माल के विक्रयों का कम से कम 50% विक्रय राज्य के भीतर करना होगा। तथापि, इस शर्त से शिथिलता इस शर्त के अध्यधीन दी जायेगी कि उद्यम, अपने उत्पादों को राजस्थान राज्य से बाहर शाखा अन्तरण या स्टॉक अन्तरण या डिपो अन्तरण के माध्यम से परेषित या प्रेषित नहीं करेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

ह०

(डॉ. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.

9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
12. मैसर्स यजाकी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव